

निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार, पटना

आदेश

सं०सं०-11/टी०बी०(कोर्ट)-10/2023-66... (11)/

पटना, दिनांक-27/01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना के विज्ञापन संख्या-01/1997 के माध्यम से बी०सी०जी० प्रावैधिक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

2 उक्त के आलोक में निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना के आदेश ज्ञापांक-936(11), दिनांक-15.09.2018 के द्वारा निम्न कर्मियों को नियुक्त करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक-981(11), दिनांक-28.09.2018 के द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों में पदस्थापित किया गया।

1. श्री अशोक कुमार सिंह, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, अररिया,
2. श्री उपेन्द्र कुमार, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, कटिहार,
3. श्री उमेश कुमार, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, नालदा,
4. श्री सुरेश प्रसाद, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज,
5. श्री राम वली सिंह, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी,
6. श्री रमेश चन्द्र वर्मा, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी,
7. मे० इकराम खॉं, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी,
8. श्री सुनील कुमार शास्त्री, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, अतिरिक्त यक्ष्मा केन्द्र, बाढ़, पटना,
9. श्री कुमार दीपक, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज,
10. श्री पवन कुमार सिंह, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी,
11. श्री योगेन्द्र प्रसाद, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी,
12. श्री वकील प्रसाद, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मोतिहारी
13. श्री उमेश पंडित, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, टी०बी०डी०सी०, पटना
14. श्री योगेन्द्र सिंह, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मुजफ्फरपुर,
15. श्री देवेन्द्र प्रसाद साव, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, टी०बी०डी०सी०, पटना,
16. श्री हरेन्द्र राय, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज,
17. श्री सुनील शर्मा, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज
18. श्री ब्रज भूषण सिंह, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सिवान
19. श्री दिलीप कुमार सिंह, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सीतामढी
20. श्री सुरेन्द्र कुमार, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सीतामढी
21. श्री चन्द्र किशोर सिंह, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, गोपालगंज
22. श्री अरुण कुमार, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधेपुरा
23. श्री आवनेन्द्र कुमार, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, सिवान
24. श्री महेन्द्र प्रसाद, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, औरंगाबाद
25. श्री राम प्रवेश सिंह, बी०सी०जी० प्रावैधिकी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, कटिहार

3 उपरोक्त कर्मियों की नियुक्ति दिनांक-31.08.2005 के उपरांत होने के कारण इन्हे पुरानी पेशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है, जिसके कारण उपरोक्त कर्मियों के द्वारा पुरानी पेशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या-17934/2023 अशोक कुमार सिंह एव अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया है।

4 उपर्युक्त न्यायादेश के अनुपालन में वित्त विभागीय सकल्प संख्या-1206(पें०), दिनांक-28.11.2023 में निहित प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ता/आवेदक से विकल्प की मांग की गई तथा उक्त सकल्प के आलोक में कडिका-4 में पुरानी पेशन योजना से आच्छादित करने हेतु निर्धारित शर्तों के आलोक में प्रस्तुत मामले की समीक्षा की गयी। -

- (क) प्रस्तुत मामले से संबंधित विज्ञापन वर्ष 1997 में प्रकाशित हुआ था। इससे स्पष्ट है कि विज्ञापन/रिक्ति दिनांक-01 09 2005 से काफी पूर्व का था।
- (ख) उपर्युक्त विज्ञापन संख्या-01/97 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर चयनित कतिपय अभ्यर्थियों की नियुक्ति वर्ष 2000 में पुरानी पेंशन योजना के तहत की गई थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर अवमाननावाद संख्या-1711/2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (सिविल रिव्यू संख्या-133/2003, सुदर्शन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-10.09.2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) में दिनांक-31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2018 में नयी पेंशन योजना के तहत की गई है। यह संकल्प की कंडिका-4(ii) की शर्त के अनुरूप है।
- (ग) प्रस्तुत नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भिक स्तर से ही न्यायिक वादों से अछादित रही है, जो संकल्प की कंडिका-4 (iii) की शर्त के अनुरूप है।
5. उपर्युक्त वर्णित वस्तुस्थिति एवं सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-17934/2023 के अनुपालन में क्रमांक-01 से 25 तक के बी0सी0जी0 प्रावैधिक को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने एवं योगदान की तिथि 16.03.2000 से वैचारिक लाभ एवं वास्तविक नियुक्ति की तिथि से आर्थिक लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 6 उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

A.S.
27.1.26

(डॉ० अशोक कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख,

(मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांक:-11/टी0बी0(कोर्ट)-10/2023-66... (11)/

पटना, दिनांक-27/01/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (यक्ष्मा), अगमकुआँ, पटना/अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुआँ, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग, जिला यक्ष्मा केन्द्र, अररिया, कटिहार, नालंदा, गोपालगंज, मधुबनी, मोतीहारी, पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, सीतामढी, मधेपुरा एवं औरंगाबाद/ अतिरिक्त यक्ष्मा केन्द्र, बाढ़, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, अररिया, कटिहार, नालंदा, गोपालगंज, मधुबनी, मोतीहारी, पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, सीतामढी, मधेपुरा एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित बी0सी0जी0 प्रावैधिक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

A.S.
27.1.26

निदेशक प्रमुख,

(मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

A.S.
27.1.26